न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू–अर्जन अधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

भू–अर्जन प्र.क. 58/अ–82/2014–15
ग्राम कोसमपाली प.ह.नं. 40
तहसील रायगढ़ जिला रायगढ़

महाप्रबंधक,
एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना
घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ.ग.)

आवेदक.

विरूध्द

1 अलेख पिता लम्बोदर जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी

2 अलेख पिता लम्बोदर, यशोदा बे0 शौकीलाल, जोगेन्द्र, गांधी, सुकान्ति, पिता अच्यूत, श्रीधर प्रसाद, रेवती पिता धनेश्वर पाण्डव, बिजली वृन्दावति पिता दुर्बादल, टिकेदाई पिता माखनु जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी

3 आत्माराम, शशी, बालकराम, गोलकराम, सुरेखा, सायबानी, सुमिधा पि बुटू, जानकी बेवा बुटू जाति कोलता सा विश्वनाथपाली

4 आकुल पिता तिऊर जाति गोड़ सा साल्हेओना भूमि स्वामी

5 गिरधारी, मोहनलाल, गिरीशकुमार, इंदुमति पिता संतोष जाति गोड़ सा देह भूमि स्वामी

6 कलावति पति मिठाईलाल जाति रावत सा साल्हेओना भूमि स्वामी

7 चन्द्रमा, सावित्री, ललिता, सुमित्रा पिता बांछा जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी

8 नवीनचन्द्र, जमुना पिता दुर्योधन जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी

9 नवीनचन्द पिता दुर्योधन जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी

10 बालकराम, गोलकराम पिता धनेश्वर जाति कोलता सा विश्वनाथपाली भूमि स्वामी

11 बाबुलाल पिता मंगलुसिंह जाति गोड सा देह भूमिस्वामी

12 करूणाकर, सदाशिव, राजकुमार बालमती, यशवंती, सुचिता पिता भरत सावित्री बे0 भरत जाति कोलता सा शकरबोगा भूमि स्वामी

13 भुरू पिता परागो जाति भोलिया सा देह भूमि स्वामी

14 महेश कुमार कौशिल्या पिता बिसीकेशन जाति खड़िया सा देह भूमि स्वामी

15 मोतीलाल, छीनूलाल पिता भागीरथी जाति खड़िया सा देह भूमि स्वामी

16 राजेन्द्र, मुकेश, रजनी पिता गोकुल प्रसाद, सावित्री बेवा गोकुल प्रसाद, दशोदा, राधा पिता धरनी, कैरीबाई बेवा धरनी जाति गाड़ा सा देह भूमि स्वामी (शास. पट्टेदार)

17 शाखाबाई पति बुद्धदेव जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी

18 सीताराम पिता काठू जाति खड़िया सा नाचेनमुड़ा उड़िसा भूमि स्वामी

19 सुकरू पिता मुनकु जाति खड़िया सा देह भूमि स्वामी

20 पाण्डव कुमार पिता केसबो, सुकलाल पिता केसबो जाति खड़िया सा देह भूमि स्वामी

21 शिवप्रसाद पिता बिदेशी जाति खड़िया सा मौहापाली भूमि स्वामी

22 गुरूप्रसाद पिता जिवर्धन, ललित कुमार पिता हलधर, सत्यपाल, सुमति, पुष्पांजली, श्रंद्धांजली पिता जगदीश बिष्णुप्रिया बेवा जगदीश, मनोज, मुकेश, महिमा, मथुरा, मंजरी पिता प्रेमकुमार, सरोजनी बेवा प्रेमकुमार, गुरूवारी पिता हलधर, जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी

23 पाण्डवकुमार, बिजली, सुमती पि दुर्बादल जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी

24 बनमाली, उदेचरण, महेश्वर पिता दौलतराम जाति अघरिया सा विश्वनाथपाली भूमि स्वामी

25 टिकेश्वर, भगतराम, सरस्वती, सुरभी, पिता मोहन, सुशीला बेवा मोहन, जनक, आनन्द, दुतिया पि बुधूराम जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी

26 मोहन लाल पिता घासी, संतोष पिता भोगसिंह जाति गोड़ सा देह भूमि स्वामी

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

27 ललित पिता भुवनेश्वर, कान्हु, चिन्तामणी, प्रहलाद, पुतली, कस्तुरी, गायत्री पिता भुवनेश्वर, मनोज, मुकेश, महिमा, मथुरा, मंजरी पिता प्रेमकुमार, सरोजनी बेवा प्रेमकुमार, रामप्रसाद, संतोष, निलाम्बुज, सुरेश, शांति पिता हृषिकेश, सुमित्रा पि नायकचंद, विष्णुदत्त, धर्मदत्त पिता जयकृष्ण, बसनो बेवा जयकृष्ण, हेमसागर जानकी, शाखा, जेमा पिता बेणुधर, रामेश्वर पिता तेजराम, नविन कुमार, जमुना पिता दुर्योधन, गुरू प्रसाद पिता जिवर्धन, गंधर्बो बेवा जिवर्धन, ललित कुमार, समे, प्रेमकुमार, गुरूवारी पिता हलधर, सत्यपाल, सुमति, पुष्पांजली, श्रद्धांजली पि जगदीश, विष्णुप्रिया बेवा जगदीश, जाति कोलता सा देह भूमिस्वामी

28 विष्णुदत्त पि लेकरा जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी

29 कमला, यशोदा, गुलापी, शाखावति पिता खगेश्वर, सुधांनन्द खितेश्वरी, सुमित्रा पिता ललित कुमार जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी

अनावेदकगण.

अवार्ड आदेश
(दिनांक 23-01-2017)

(1) यह प्रकरण महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना घरघोड़ा जिला रायगढ़ के पत्र क्र. REF No 5073/TLCMP/pvt/12/08/15 **कोसमपाली** दिनांक 06.8.2015 के अनुसार **ग्राम-- कोसमपाली** प.ह. नं. **40** रा.नि.मं. व तह.--**रायगढ़** जिला **रायगढ़** के निजी भूमि कुल ख.नं. **58** कुल रकबा **6.410** हे. का रेल लाईन निर्माण के लिये अधिग्रहण हेतु भू-अर्जन प्रस्ताव विहित प्रपत्र में प्राप्त होने पर प्रारंभ किया गया।

उपरोक्त भू-अर्जन प्रस्ताव के संदर्भ में पुनर्वास योजना तैयार कर महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माइनिंग परियोजना द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रस्तावित पुनर्वास योजना का अनुमोदन प्रचलित नियमों के तारतम्य में आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर के पत्र कमांक 3062/राजस्व/ भू-अर्जन/2015 बिलासपुर दिनांक 25.7.2015 अनुसार प्रस्तावित पुनर्वास योजना में निम्नांकित शर्ते समाहित कर पुनर्वास योजना का अनुमोदन किया गया है :-

1. कलेक्टर द्वारा मुआवजा का निर्धारण भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत किया जावेगा।
2. भासन द्वारा इस संबध में समय--समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जावेगा।
3. भूमि अर्जन के बाद स्थल पर जिस कृषक की इतनी कम भूमि शेष बचती हो कि उस पर लाभदायक कृषि संभव न हो, तो शेष भूमि का भी अधिग्रहण किया जावेगा।
4. पर्यावरण संतुलन को बनाये रखने के लिये वृक्षारोपण किया जावेगा। वृक्षारोपण हेतु कार्य योजना दो माह के भीतर तैयार किया जावे, ताकि आगामी बरसात के पूर्व वृक्षारोपण का कार्य किया जा सके।
5. पुनर्वास पैकेज एवं प्रतिकर के पूर्ण भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
6. मकान विस्थापितों के लिऐ वैकल्पिक व्यवस्था की जावे।
7. कलेक्टर रायगढ़ भू-अर्जन कार्य का समुचित पर्यवेक्षण करेंगे, एवं प्रत्येक तीन माह में अपना प्रगति प्रतिवेदन राज्य शासन को एवं इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
8. एनटीपीसी लिमिटेड तलाईपाली तहसील घरघोड़ा जिला रायगढ़ कोल माईंस ताप विद्युत परियोजना के कियान्वयन एजेंसी द्वारा कराये गये कार्य गुणवत्ता के अनुसार हो, यह सुनिश्चित किया जावे।
9. प्रभावित परिवारों को रोजगार सुनिश्चित करने की दृष्टि से आजिविका ट्रेड में प्रशिक्षण व्यवस्था किया जावेगा। पश्चात सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्राथमिकता में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से रोजगार/ जीविका उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।
10. जिले के निःशक्तजनों के लिए आजीविका प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार हेतु विशेष प्रयास करना होगा।
11. नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 के दूसरी अनुसूची धारा 31(1) 38(1) और धारा 105 (3) के प्रावधानों का भी पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा।

(2) उपरोक्त अनुकम में महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना से ग्राम **कोसमपाली** के प्रस्तावित निम्नांकित भूमि के अधिग्रहण किये जाने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के संदर्भ में छ.ग.भासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुकम में अधिग्रहण कार्यवाही हेतु प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम की धारा-11(1) के अधीन अधिसूचना का प्रकाशन निम्नानुसार कराया गया :-

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी
रायगढ़

अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण :–

खसरा नं.	रकबा (हे0) में	खसरा नं.	रकबा (हे0) में	खसरा नं.	रकबा (हे0) में	खसरा नं.	रकबा (हे0) में
184	0.036	187/2	0.101	79/3 203/2	0.081	139/8	0.008
183	0.242	200	0.097	187/1	0.097	136/3	0.146
185/3	0.202	208	0.032	195/1	0.101	163	0.065
166/1क	0.214	162/2	0.081	199/2		166/2	0.040
165/7	0.121	204/1	0.142	209/1	0.068	167/1	0.040
139/2	0.445	204/2	0.084	205/1	0.008	131	0.709
201	0.129	204/4	0.101	205/2	0.049	132/2	0.024
206/3	0.077	207/1	0.061	130/2ख/4	0.161	133/2	0.016
206/4	0.008	207/2	0.061	151/2	0.040	134	0.069
169	0.040	79/2 203/1	0.101	164	0.324	161	0.024
160	0.048	206/5	0.161	195/2	0.064	168	0.077
130/2ग	0.341	210/7	0.150	199/1		170	0.040
162/4	0.202	159/6	0.125	165/6	0.064	180/2	0.040
136/1	0.101	181/2	0.161	166/1ख	0.024	159/2	0.206
182/3	0.040	180/3	0.121	योग – कुल ख.नं. 58 कुल रकबा 6.410 हे.			

अधिनियम की धारा–11 (1) के प्रकाशन का विवरण निम्नानुसार है.–

1. छ.ग. राजपत्र दिनांक 2/10/15 भाग–एक पृ.क 1522
2. स्थानीय समाचार पत्र केलोप्रवाह दिनांक 14/10/2015
3. क्षेत्रिय समाचार पत्र दैनिक पत्रिका दिनांक 14/10/2015
4. ग्राम कोसमपाली में मुनादी के माध्यम से दिनांक 08/11/2015

(3) प्रकरण में अधिनियम की धारा–11(1) के अधिसूचना प्रकाशन पश्चात् श्रीमती उषा अग्रवाल पति सुनील अग्रवाल श्रीमती अंजू अग्रवाल पति सतिस निवासी बीड़पारा रायगढ़ एवं श्रीमती राजेश्वरी पटेल पति आनंद कुमार पटेल अंकुर पटेल वल्द आनंद कुमार पटेल कोतरा रोड़ रायगढ़ द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों आवेदक निकाय एवं तहसीलदार रायगढ़ से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया । प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार बिन्दुवार निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

1. भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 1 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना विधिक प्रावधनो के विपरीत प्रकाशित कराई गई है ।
2. प्रारंभिक अधिसूचना में एक ओर प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं उल्लेखित है जबकी दूसरी ओर प्रभावित परिवार उल्लेखित किया गया है ।
3. (अ) नवीन भूमि अर्जन पुनर्वासन ओर पुनव्यर्वस्थापन अधिनियम 2013 के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 के समस्त उपबन्धों में छूट दर्शाया गया है जो कि त्रुटीपूर्ण है।

   (ब) नवीन भूमि अर्जन पुनर्वासन ओर पुनव्यर्वस्थापन अधिनियम 2013 के धारा 30 (3) में धारा 26 के अधीन बाजार मूल्य के अतिरिक्त, कलेक्टर प्रत्येक मामले में सामाजिक समाघात का निर्धारण अध्यन की अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से ही प्रारंभ होने वाली और कलेक्टर के निर्णय की तारीख तक या भूमि के कब्जा लेने के तारीख तक इसमें से जो भी पूर्वतर हो की अवधि के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर पर संगणित रकम अधिनिर्णित करेगा।
4. खसरे के बटांकन होने के पश्चात संव्यवहारकर्ता को यदि पुनः उक्त जमीन संव्यवहार या अन्य कारणो से वापस प्राप्त होता है तो उक्त खसरा का मुल स्वरूप से बिना बन्दोबस्त की कार्यवाही किए बिना नही आता है।

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी
रायगढ़

5. आपत्तिकर्ता के द्वारा उक्त भूमि का विक्रय पत्र का निष्पादन नवीन भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उप धारा के प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का नवीन भू–अर्जन अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा एवं पुनर्वास का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपरोक्त आपत्ति के संबंध में बिन्दुवार निराकरण निम्नानुसार है :–

1. अधिनियम की धारा 11 की अधिसूचना का विधिवत छ.ग. राजपत्र में दिनांक 2.10.15, को दैनिक समाचार पत्र पत्रिका दिनांक 14.10.15, केलो प्रवाह दिनांक 14.10.15 एवं ग्राम में दिनांक 30.10.15 को प्रकाशन कराया गया है।
2. प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन छ.ग.शासन द्वारा विहित प्रपत्र में कराई गई है। वर्तमान में टारपाली ग्राम में एनटीपीसी तलाईपाली रेल परियोजना द्वारा किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।
3. (अ) छ.ग.शासन के असाधारण राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 02.3.2015 कमांक एफ–4–28/सात–1/2014 के अनुसार औद्योगिक कारिडोर के उक्त नवीन भू–अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय 2 एवं 3 के समस्त प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है।

   (ब) छ.ग.शासन द्वारा अधिनिर्णित की गई संगणित रकम नवीन भूमि अर्जन पूनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से 12 प्रतिशत वार्षिक दर पर व्याज की गणना की जावेगी।
4. नवीन भूमि अर्जन पूनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रारंभिक अधिसूचना वर्तमान अद्यतन राजस्व अभिलेख के अनुसार तैयार कर प्रस्तुत किये गये भू–अर्जन प्रस्ताव के अनुसार किया गया है।
5. अद्यतन राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार भू–अर्जन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है, तथा राजस्व अभिलेखों में दर्ज नामों के अनुसार प्रभावितों को मुआवजा एवं अन्य पुनर्वास लाभ दिया जावेगा।

भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 व केन्द्र सरकार के अध्यादेश दिनांक 31.12.2014 के अनुसार एनटीपीसी लिमि. तलाईपाली कोल माईनिग परियोजना द्वारा प्रस्तावित तथा आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर द्वारा अनुमोदित तिलाईपाली कोल माईनिग के रेल परियोजना से प्रभावित पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन योजना का ग्राम में प्रकाशन दिनांक 07.11.2015 को कराया गया है।

4– महाप्रबधक एनटीपीसी लिमि. तलाईपाली के पत्र कमांक 5073/तलाईपाली/एमजीआर/सेवा भूमि/04/16 दिनांक 22.4.2016 के साथ ग्रामवार सेवा भूमि की सूची संलग्न कर ग्राम कोसमपाली की सेवा भूमि ख.नं. 135 को अधिनियम की धारा 19 की कार्यवाही से पृथक करने हेतु निवेदन करने पर उक्त खसरा नम्बर 135 को अधिनियम की धारा 19 की कार्यवाही से पृथक करते हुए प्रकरण में अधिनियम की धारा–19 की घोशणा के प्रकाशन की कार्यवाही निम्नानुसार कराया गया :–

1. छ.ग. राजपत्र में दिनांक 03.06.2016 को भाग–1 पृ.क्र. 1004,1005,
2. स्थानीय समाचार पत्र 1. कुशग्रता में दिनाक. 12.5.2016
   2. हरिभूमि में दिनाक. 15.05.2016
3. स्थानीय तौर पर ग्राम में मुनादी के माध्यम से दिनांक 21.5.2016

प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 की घोशणा के प्रकाशन उपरान्त कोई भी दावा/आपत्ति प्राप्त नही हुआ।

(5) प्रकरण में अधिनियम की धारा–21 की सूचना दिनांक 20.5.2016 को जारी कर भू–स्वामियों को सुनवाई हेतु दिनांक 27.6.2016 को आहूत किया गया। कुछ भू–स्वामिमियों के निवेदन पर धारा 21 के अंतर्गत सुनवाई हेतु उचित अवसर देते हुए दावा/आपत्ति प्रस्तुत करने की तारीख 30.7.2016 तक बढ़ाई गई। तथा प्राप्त दावा/आपत्तियों के संबंध में तहसीलदार, रायगढ़ एवं आवेदक निकाय से संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। आपत्तिवार निराकरण निम्नानुसार है :–

(1) आपत्तिकर्ता श्रीमती उषा अग्रवाल पति सुनील अग्रवाल श्रीमती अंजू अग्रवाल पति सतिस निवासी बीड़पारा रायगढ़ खसरा नं. 163 के संबंध बिन्दुवार निम्नानुसार आपत्ति प्रस्तुत की गई है :–

1. धारा 19 के पुनर्वासन व पुर्नस्थापना तथा घोषणा और सार का प्रकाशन कराया जाना प्रावधानित है किन्तु पुनर्वासन व पुर्नस्थापना सार का प्रकाशन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। जबकी भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धरा 1 में स्पष्ट प्रावधान है कि इस उप धारा के अधिन कोई घोषणा तब तक नहीं किया जावेगा, जब तक पुनर्वासन व पुनर्व्यस्थापन योजना का सार ऐसी घोषणा के साथ नहीं किया जाता। एतएवं त्रुटिपूर्ण प्रकियाओं का समावेश कर मात्र प्रबंधक एन.टी.पी.सी. द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है, जो कि अवैधानिक है।

2. धारा 11 के परिप्रेक्ष्य में आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया था, किन्तु महा प्रबंधक एन.टी.पी.सी. एवं तहसीदार के द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन एवं भू–अर्जन की प्रकियाओं के विपरित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर भू–अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण नहीं किया गया है तथा बिना निराकरण के ही अग्रिम कार्यवाही की गई है, जो कि अनुचित है।

3. यह कि रिट पिटिशन कमांक 1443 नितिश अग्रवाल, मेनका अग्रवाल बनाम छ.ग. शासन व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा दिनांक 14.09.2015 को यह आदेशित किया गया था कि भू–अर्जन अधिनियम के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 का पालन किये जाने का निर्देशित किया गया था। जिसकी प्रतिलिपि आपत्ति के साथ प्रस्तुत की गयी थी, किन्तु अनावेदक एवं तहसीलदार रायगढ़ तथा श्रीमान के द्वारा उक्त बिन्दुओं का अव्हेलना किया गया है। विदित हो की माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदश को सम्पूर्ण छ.ग.में पालन किया जाना है। उपरोक्त त्रुटिपूर्ण कार्यवाही के क्षुब्ध होकर अन्य प्रकरण किशन लाल शर्मा, शोभा अग्रवाल रिट पिटिशन क. 1507/16,1508/2016 प्रस्तुत है, जिसमें छ.ग. शासन वगैरह को 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया गया है, चूंकि उक्त प्रकरण की एक ही प्रकृति की है, ऐसी स्थिति में बिना निराकरण के भू–अर्जन की अग्रिम कार्यवाही नही किया जावे।

4. यह कि सम्पत्ति का अधिकार विधिक अधिकार के साथ साथ मानवाधिकार भी है, जिसे अविधिक व छल पूर्वक उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

5. यह कि दिनांक 17.10.2015 को धारा (1) भू–अर्जन अधिनियम के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित कराया जाता है एवं समुचित सरकार के बेवसाईड में प्रकाशन न करा कर छल पूर्वक एन.टी.पी.सी. में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा रायगढ़ के बेवसाईड में दिनांक 13.05.2016 को कराया जाता है तथा उसी दिनांक 13.05.2016 को धारा 19 का भी बेवसाईड में प्रकाशन कराया जाता है जबकी भू – अर्जन की प्रकिया में समयावधि का गणना अंतिम प्रकाशन दिनांक को माना जाना प्रावधानित है तथा धारा 11 (1) के प्रकाशन पश्चात 60 दिन के समयावधि आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रावधनित है, जिसका भी पालन नहीं किया गया है।

6. यह कि धारा 19 राजपत्र में दिनांक 03/06/2016 को प्रकाशित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण है एवं धारा 19 भू–अर्जन अधिनियम का प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण कराये बगैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिशः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रकिया भू–अर्जन अधिनियम के तहत आदेशात्मक कार्यवाही है, जिसका पालन नहीं किया गया है। अतएवं सम्पूर्ण कार्यवाही शुन्य व अवैधानिक है।

7. यह कि भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जारी अधिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओं पर भू–अर्जन के अध्याय अधिनियम 2व3 का छुट प्रदान किया गया है। जिसके तारतम्य में छ.ग. शासन के द्वारा 02.03.2015 की अधिसूचना जारी कर अध्याय 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08.2015 था, चूंकि भारत सरकार के द्वारा लाये गये अध्यादेश पूर्व में शून्य हो चुका है, जिसको आधार बना कर केवल आदेश पत्रक में उल्लेखित कर छुट के दायरे में लाया गया है, जबकी उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप, मुनादी, समाचार पत्र, राजपत्र, बेबसाईड में किसी भी रीति से प्रकाशन नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में छ.ग.शासन के द्वारा एवं भू–अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बगैर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है।

8. यह कि धारा 11 के बेबसाईड में प्रकाशन के पूर्व ही धारा 19 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकाशान के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहीं दुसरी ओर धारा 19 का प्रकाशन किया जाना नवीन भू–अर्जन अधिनियम 2013के प्रावधानों के विपरित है।

9. प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.2015 को जारी किया गया था जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्यतन करवाने की नियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वारिसो का नामों को प्रवृष्टि करना, भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के समस्त प्रहारों जैसे– बिकी,दान, विभाजन आदि को प्रवृष्टि करना बंधक के सभी प्रवृष्टियों को अभिलेखों प्रवृष्टि करना इत्यादी उल्लेखित है, किन्तु उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के उपरांत दिनांक 23.02.2016 को धार 11 (1) में आपत्ति पर निराकरण हेतु नियत किया गया था किन्तु उक्त अधिसूचना में दर्शित बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुए या ताक में रखते हुए आपत्तिकर्ता के संवैधानिक अधिकार का हनन कर छल पूर्वक अनावेदक एवं तहसीलदार के द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो कि भू–अर्जन की धारा 86,87 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी
रायगढ़ (तहसीलदार)

10. यह कि उपरोक्त कंडिकावार बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एवं विधिवत भू–अर्जन प्रकिया के अनुकुल निराकरण कर आपत्तिकर्ता को सूचना/जानकारी देने के उपरांत ही भू – अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जावे ताकि भविष्य में एन.टी.पी.सी.लारा परियोजना की भांती इस परियोजना में भी भूमि पर कब्जा लेने के उपरांत प्रभावितों को अनावश्यक न्यायालयीन कार्यवाही में उलझना न पड़ें। यदि जानबुझ कर आपत्तिकर्ता के हित को ताक में रखते हुए अविधिक पूर्ण कार्यवाही की जाती है तो उसकी समस्त जवाबदारी महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. की होगी।

11. एक ओर एन.टी.पी.सी. के पुनर्वास निति के कंडिका 9.6 रोजगार एवं वार्षिकी में प्रति प्रभावित एक बार 5.00 लाख दिया जावेगा या वार्षिकी पॉलिसी कीमत सूचकांक के अनुसार कम से कम 2000/–रू. प्रति माह उल्लेखित है, जबकी 02.07.2014 जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में भू – अर्जन के मुआवजे के अतिरिक्त 30000/–रू. प्रति एकड़ अनुपातिक 20 वर्ष तक भूमि विस्थापित परिवार को दिया जावेगा। प्रत्येक 2 वर्ष में प्रति एकड़ 500/–रू.बढ़ाया जायेगा। जबकी सूचना के अधिकार के तहत चाही गयी जानकारी में जिला कार्यालय रायगढ़ के द्वारा जिला स्तरीय पुनर्वास समिति का गठन वर्ष 2013–14 में नहीं हुआ है और न ही इस संदर्भ में सचिवालय रायपुर में दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, बताया गया। अतः न तो पूर्व में पुनर्वास स्कीम विधिवत बनाया गया और नही धारा 16 (5) के तहत पुनर्वास प्रतिवेदन के संदर्भ में कोई सुनवाई किया गया है। चूंकि छ.ग. शासन का कृषि भूमि में निरन्तर भू–स्वामी है एवं एन.टी.पी.सी. प्रस्तावक है, ऐसी स्थिति में वर्ष 2013 भू–अर्जन अधिनियम के प्रावधानों को मनमाने ढंग से लागू कर आपत्तिकर्ता/रजिस्टर्ड भूमि स्वामी को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है।

12. एन.टी.पी.सी. की पुनर्वास नीति सम्पूर्ण भारत में एक होती है। वर्ष 2015 में एन.टी.पी.सी. के द्वारा ग्राम –गहिलगढ़ (पं.) विद्यांचल (मध्यप्रदेश) में कृषि भूमि का रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से कय किया गया है एवं दिनांक 18.03.2015 को कीमत सूचकांक के अनुसार प्रभावित भूमिस्वामियों को नौकरी के एवज में 700000/–रू. (सात लाख) पैकेज दिया गया है, चूंकि एन.टी.पी.सी. के द्वारा रायगढ़ के परियोजनाओं हेतु पुनर्वास प्रतिवेदन, धारा 19 के साथ पुनर्वास का सार प्रकाशन नहीं कराया गया है। अतएव वर्तमान कीमत सूचकांक के अनुसार नौकरी के एवज में पैकेज प्राप्त करने के अधिकारी है एवं प्रति एकड़ 2000000/–(बीस लाख रूपये) की दर से मुआवजा राशि का निर्धारण कर नवीन भू–अर्जन अधिनियम के तहत 4 गुना दिया जावे चूंकी अन्य प्रान्त में (सुन्दरगढ़ ओडिसा) में एन.टी.पी.सी. के द्वारा 22.00 लाख रू. प्रति एकड़ की दर से मुआवजा राशि निर्धारण किया गया है।

उपरोक्त आपत्ति का बिन्दुवार निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

1. कमिश्नर बिलासपुर संभाग बिलासपुर द्वारा अनुमोदित पुर्नवासन योजना के सार का प्रकाशन ग्राम में धारा 19 के प्रकाशन के साथ कराया गया है ।

2. अधिनियम की धारा 11 की अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत समयावधि में प्रस्तुत दावा आपत्तियों का निराकरण किया गया है। तत्पश्चात प्रकरण में नियमानुसार आगे की कार्यवाही की गई है।

3 ग्राम रेगालपाली एवं टारपाली के भू–अर्जन प्रकरण से संबंधित रिट पीटिशन कमाक–उब्ल्यू पीसी 1507/2016 एवं 1508/2016 में शासन की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रश्नाधीन रिट पिटिशन कमांक 1443 नितिश अग्रवाल, मेनका अग्रवाल बनाम छ.ग. शासन व अन्य माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में विचाराधीन है। तथा माननीय न्यायालय के निर्णय का पालन किया जावेगा।

4. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रवाधनो का पालन करते हुए वर्तमान में भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

5. भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के नियमानुसार प्रारंभिक अधिसूचना ई–राजपत्र के रुप में समूचित सरकार (छ.ग. शासन) की वेबसाइट में 02.10.15 को प्रकाशित कराया गया है। ग्राम कोसमपाली के लिए प्रारंभिक अधिसूचना (धारा11) का अंतिम प्रकाशन ग्राम प्रकाशन 08.11.15 के अनुसार 07.01.15 तक 60 दिन की समयावधि नियत थी। इस समय-सीमा में प्राप्त आपत्ति विचार के लिये स्वीकार की गई है।

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

6. अधिनियम की धारा 21 की सूचना में प्रभावितो को न्यूनतम एक माह से लेकर अधिकतम छः माह तक का समय दिया जाना उल्लेखित है। दिनांक 03.6.2016 को धारा 19 के राजपत्र में प्रकाशन उपरांत दिनांक 27.6.16 एवं पुनः दिनांक 30.7.16 को नियम कर धारा 21 की सुनवाई पूर्ण की गई। इस प्रकार भू –अर्जन अधिनियम की धारा 19 एवं 21 के मध्य नियमानुसार एक माह से अधिक का समय देकर आपत्तियां ली गई। धारा 19 के राजपत्र में

प्रकाशन के पूर्व धारा 21 की व्यक्तिगत हसूचना प्रभावितों को एक माह से अधिक का उचित समय आपत्ति करने के लिये दिया गया। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का प्रकाशन समाचार पत्रों में, ग्राम प्रकाशन कराकर एवं रायगढ़ की वेब साइट में अपलोड कर किया गया था।

7. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रावधानों से 2 मार्च 2015 को छ.ग. शासन के द्वारा असाधरण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारीडोर एवं अन्य परियोजना को छुट प्रदान की गई थी। इस अध्यादेश के अस्तित्व में रहते हुए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भू अर्जन प्रकरण की प्रारंभिक अधिसूचना का अनुमोदन 31.08.2015 को कर दिया गया था एवं आवेदक संस्था एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा भू–अर्जन की राशि कर दी गई थी।

8. प्रकरण में अधिनियम की धारा 11 का प्रकाशन निमयानुसार छ.ग. राजपत्र में दिनांक 02.10.2015 को, समुचित सरकार (छ.ग.शासन) वेबसाईट (www.cg.nic.in/ egazette) ई –राजपत्र – 02.10.15 को, समाचार पत्र दैनिक पत्रिका दिनांक 14.10.2015 एवं दैनिक भास्कर दिनांक 14.10.2015 में तथा ग्राम में दिनांक 08.11.2015 को कराया गया है। तत्पश्चात अधिनियम की धारा 19 का प्रकाशन करवाया गया है।

9. भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.15 की अधिसूचना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के रुप में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे। प्रकरण में संलग्न राजस्व दस्तावेजों तथा भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार आवश्यक सुधार कर आगे की कार्यवाही की गई है।

10. प्रकरण में अर्जित की जा रही भूमि के सबंध में प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों में दर्ज अनुसार भूमिस्वमी को अधिनियम की धारा 21 की सूचना जारी की गई है। तथा उन्हें सूना गया है।

11. दिनांक 02.07.2014 को जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक के बिन्दुओ को सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के सेड्युल 2 के अनुसार निर्देशित कण्डिकाओं का पालन करते हुए 25 जुलाई 2015 को अनुमोदित किया गया है। जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक वर्ष 2014–15 में माननीय मंत्री एवं विधायक महोदय, कलेक्टर,सी.ई.ओ.जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम पंचायत आदि को सूचना देकर उपस्थिती में हुई थी। सभी बिंदुओं में चर्चा होने के पश्चात दिनांक 8.7.14 को बैठक के बिंदुओं की प्रति सभी संबंधितों एवं पंचायत को उपलब्ध कराई गयी।

12. भारत में राज्य शासनों की पुर्नवास नीति के अनुसार, प्रचलित शासकीय नियम, भूमि का गाईड लाईन/ब्रिकी छांट मूल्य आदि का पालन करते हुये पुनर्वास नीति हर जगह राज्य शासन द्वारा अनुमोदित की जाती रही है। भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के भोडयुल 1 एवं 2 के अनुसार एन.टी.पी.सी. तलाईपाली के भू–अर्जन प्रकरण हेतु पुर्नवास नीति सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा अनुमोदित है।

(2) आपत्तिकर्ता ललित चौहान आ. स्व. धनविजय चौहान ने ख.नं.290/6 के संबंध में आपत्ति की है कि उसके नाम से ग्राम कोसमपाली में उक्त भूमि स्थित है तथा उसका ऋण पुस्तिका भी प्रदान किया गया है जिसका नम्बर 604894 है। महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. लि. तलाईपाली कोलमाईनिंग प्रोजेक्ट घरघोड़ा द्वारा उक्त भूमि को भू–अर्जन कोल परिवहन हेतु रेल लाईन निर्माण बावत किया जा रहा है जिसका मुआवजा राशि दिलाया जावे।

आवेदक ललित चौहान द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित ख.नं. 290/6 भू–अर्जन हेतु प्रस्तावित नहीं है, और न ही अधिसूचित है। स्थल जांच में भूमि प्रभावित नहीं हो रहा है।

(3) आपत्तिकर्ता यतुल अग्रवाल आ. विजय कुमार अग्रवाल साकिन गांधीगज रायगढ़ ने ख.नं.166/1क से एवं

(4) विशाल बंसल आ. विजय बंसल सा. गांधीगंज रायगढ़ नं ख.नं. 166/1क से के संबंध में निम्नानुसार आपत्ति प्रस्तुत किया है:–

1. यह कि आपत्तिकर्ता के द्वारा दिनांक 13.06.2013 को आलेख आ. लम्बोदर वगै. के स्वामित्व की भूमि ग्राम – कोसमपाली में स्थित भूमि खसरा नं. 166/1 क से 0.040हे. भूमि को विकय पत्र के माध्यम से विकेता दिनेश

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

अग्रवाल को संपूर्ण प्रतिफल राशि 1,4200000 रु क्रय किया गया है। तथा उक्त विक्रय पत्र के माध्यम के आधार पर नामांतरण विधिवत करा कर ऋण पुस्तिका प्राप्त किया है।

2. प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.2015 को जारी किया गया था जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्यतन करवाने की नियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वारिसो का नामों को प्रवृष्टि करना, भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के समव्यपहारों जैसे– बिक्री,दान, विभाजन आदि को प्रवृष्टि करना बंधक के सभी प्रवृष्टियों को अभिलेखों प्रवृष्टि करना इत्यादी उल्लेखित है, अतएव पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से मुआवजा राशि एवं सर्वोतम पुनर्वास का लाभ प्राप्त करने का आपत्तिकर्ता अधिकारी है।

3. यह कि धारा 11 (1) भू –अर्जन अधिनियम के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित कराया जाता है एवं समुचित सरकार के बेवसाईड में प्रकाशन न करा कर छल पूर्वक एन.टी.पी.सी. में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा रायगढ़ के बेवसाईड में दिनांक 13.05.2016 को कराया जाता है तथा उसीर दिनांक 13.05.2016 को धारा 19 का भी बेवसाईड में प्रकाशन कराया जाता है जबकि भू –अर्जन की प्रकिया में समयावधि का गणना अंतिम प्रकाशन दिनांक को माना जाना प्रावधानित है तथा धारा 11 (1) के पश्चात 60 दिन के समयावधि आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रावधानित है, जिसका भी पालन नहीं किया गया है।

4. यह कि धारा 11 के बेवसाईड में प्रकाशन के पूर्व ही धारा 19 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहीं दूसरी ओर धारा 19 का प्रकाशन किया जाना नवीन भू–अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के विपरित है।

5. धारा 19 के पुनर्वासन व पुर्नस्थापना तथा घोषणा और सार का प्रकाशन कराया जाना प्रावधानित है किन्तु पुनर्वासन व पुर्नस्थापना सार्क का प्रकाशन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। जबकी भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धरा 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस उप धारा के अधिन कोई घोषणा तब तक नहीं किया जावेगा, तब तक पुनर्वासन व पुनर्व्यस्थापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साथ नहीं किया जाता।

6. यह कि धारा 19 राजपत्र में दिनांक 10.6.2016 को प्रकाशित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण है एवं धारा 19 भू–अर्जन अधिनियम का प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण कराये बगैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिशः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रकिया भू–अर्जन अधिनियम के तहत आदेशात्मक कार्यवाही है, जिसका पालन नहीं किया गया है। अतएवं सम्पूर्ण कार्यवाही शुन्य व अवैधानिक है।

7. यह कि भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जारी अधिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओं पर भू–अर्जन के अध्याय अधिनियम 2 व 3 का छुट प्रदान किया गया है। जिसके तारतम्य में छ.ग. शासन के द्वारा 02.03.2015 की अधिसूचना जारी कर अध्याय 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08.2015 था, चूंकि भारत सरकार के द्वारा लाये गये अध्यादेश पूर्व में शून्य हो चुका है, जिसको आधार बना कर केवल आदेश पत्रक में उल्लेखित कर छुट के दायरे में लाया गया है, जबकी उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप, मुनादी, समाचार पत्र, राजपत्र, बेबसाईड में किसी भी रीति से प्रकाशन नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में छ.ग.शासन के द्वारा एवं भू–अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बगैर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है।

8. एक ओर एन.टी.पी.सी. के पुनर्वास निति के कंडिका 9.6 रोजगार एवं वार्षिकी में प्रति प्रभावित एक बार 5.00 लाख दिया जावेगा या वार्षिकी पॉलिसी कीमत सूचकांक के अनुसार कम से कम 2000/–रू. प्रति माह उल्लेखित है, जबकी 02.07.2014 जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में भू – अर्जन के मुआवजे के अतिरिक्त 30000/–रू. प्रति एकड़ अनुपातिक 20 वर्ष तक भूमि विस्थापित परिवार को दिया जावेगा। प्रत्येक 2 वर्ष में प्रति एकड़ 500/–रू.बढ़ाया जायेगा। जबकी सूचना के अधिकार के तहत चाही गयी जानकारी में जिला कार्यालय रायगढ़ के द्वारा जिला स्तरीय पुनर्वास समिति का गठन वर्ष 2013–14 में नहीं हुआ है और न ही इसं संदर्भ में सचिवालय रायपुर में दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, बताया गया। अतः न तो पूर्व में पुनर्वास स्कीम विधिवत बनाया गया और नही धारा 16 (5) के तहत पुनर्वास प्रतिवेदन के संदर्भ में कोई सुनवाई किया गया है। चूंकि छ.ग. शासन का कृषि

भू अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी
रायगढ़

भूमि में निरन्तर भू–स्वामी है एवं एन.टी.पी.सी. प्रस्तावक है, ऐसी स्थिति में वर्ष 2013 भू–अर्जन अधिनियम के प्रावधानों को मनमाने ढंग से लागू कर आपत्तिकर्ता/रजिस्टर्ड भूमि स्वामी को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है।

9. एन.टी.पी.सी. की पुनर्वास नीति सम्पूर्ण भारत में एक होती है। वर्ष 2015 में एन.टी.पी.सी. के द्वारा ग्राम–गहिलगढ़ (पं.) विद्यांचल (मध्यप्रदेश) में कृषि भूमि का रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से क्रय किया गया है एवं दिनांक 18.03.2015 को कीमत सूचकांक के अनुसार प्रभावित भूमिस्वामियों को नौकरी के एवज में 700000/–रू. (सात लाख) पैकेज दिया गया है, चूंकि एन.टी.पी.सी. के द्वारा रायगढ़ के परियोजनाओं हेतु पुनर्वास प्रतिवेदन, धारा 19 के साथ पुनर्वास का सार प्रकाशन नहीं कराया गया है। अतएव वर्तमान कीमत सूचकांक के अनुसार नौकरी के एवज में पैकेज प्राप्त करने के अधिकारी है एवं प्रति वर्गफूट की दर से मुआवजा टी.पी.सी. के द्वारा 22.00 लाख प्रति राशि का निर्धारण कर नविन भू अर्जन अधिनियम के तहत 4 गुना,दिया जावे।

उपरोक्त आपत्ति का बिन्दुवार निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

1. प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों में आपत्तिकर्ता का नाम दर्ज नहीं है। राजस्व अभिलेखों में दर्ज नाम से मुआवजा राशि की गणना की जावेगी।
2. भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.15 की अधिसूचना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के रुप में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे। प्रकरण में संलग्न राजस्व दस्तावेजों तथा भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार आवश्यक सुधार कर भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।
3. अधिनियम की धारा 11 का प्रकाशन, छ.ग. राजपत्र में दिनांक 02.10.15को समुचित सरकार (छ.ग.भासन) वेबसाईट (www.cg.nic.in/ egazette) इ –राजपत्र दिनांक 02.10.2015 को समाचार पत्र दैनिक पत्रिका दिनांक 14.10.2015 में दैनिक भास्कर दिनांक 14.10.2015 को तथा ग्राम में दिनांक 08.11.2015 प्रकाशन कराया गया है। अंतिम प्रकाशन दिनाक 08.11.2015 के पश्चात 60 दिन के समयावधि दिनांक 07.01.16 तक प्रस्तुत दावा/आपत्तियों की जांच कर निराकरण किया गया। तत्पश्चात अधिनियम की धारा 19 का प्रकाशन करवाया गया।
4. अधिनियचम की धारा 11 का प्रकाशन विहित प्रारूप में समुचित सरकार (छ.ग.शासन) वेबसाईट ww.cg.nic.in/ egazette) ई – राजपत्र – 02.10.2015 कराया गया है।
5. .कमिश्नर बिलासपुर,सभाग बिलासपुर द्वारा अनुमोदित पुर्नवासन योजना का प्रकाशन ग्राम में धारा 19 के प्रकाशन के साथ कराया गया है।
6. अधिनियम की धारा 21 की सूचना में प्रभावितो को न्यूनतम एक माह से लेकर अधिकतम छः माह तक का समय दिया जाना उल्लेखित है। दिनांक 03.6.2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकाशन उपरांत 27.6.16 एवं पुनः 30.7.16 को समुचित अवसर देते हुए धारा 21 की सुनवाई पूर्ण की गई। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का प्रकाशन क्षेत्रिय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में, ग्राम में एवं अतिरिक्त रुप से रायगढ़ की वेब साइट में भी अपलोड किया गया है।

7. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रावधानों से 2 मार्च 2015 को छ.ग. शासन के द्वारा असाधरण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारीडोर एवं अन्य परियोजना को छुट प्रदान की गई थी। इस अध्यादेश के अस्तित्व में रहते हुए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भू अर्जन प्रकरण की प्रारंभिक अधिसूचना का अनुमोदन 31.08.2015 को किया गया है। एवं आवेदक संस्था एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा भू–अर्जन की राशि जमा कर दी गई है।

8. दिनांक 02.7.2014 को जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक के बिन्दुओ को सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के सेडयुल 2 के अनुसार निर्देशित कण्डिकाओं का पालन करते हुए 25 जुलाई 2015 को अनुमोदित किया गया था। जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक वर्ष 2014–15 में माननीय मंत्री एवं विधायक महोदय, कलेक्टर,सी.ई.ओ.जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम पंचायत आदि को सूचना देकर उपस्थिती में हुई थी। सभी बिंदुओं में चर्चा होने के पश्चात 08.7.2014 को बैठक के बिंदुओं की प्रति सभी संबंधितों एवं पंचायत को उपलब्ध कराई गयी।

अनुविभागीय अधिकारी
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

9.. भारत में राज्य शासनों की पुर्नवास नीति के अनुसार, प्रचलित शासकीय नियम, भूमि का गाईड लाईन/ब्रिकी छांट मूल्य आदि का पालन करते हुये पुनर्वास नीति हर जगह राज्य शासन द्वारा अनुमोदित की जाती रही है। भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के भोडयुल 1 एवं 2 के अनुसार एन.टी.पी.सी. तलाईपाली के भू–अर्जन प्रकरण हेतु पुर्नवास नीति सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा अनुमोदित है।

(5) आपत्तिकर्ता विशाल अग्रवाल आ0 वेद प्रकाश अग्रवाल निवासी चक्रधर नगर रायगढ़ द्वारा आपत्ति की गई है कि खाता नम्बर 3खसरा नम्बर 166/1 क से रकबा 0.040 हे. भूमि मूल भूमि स्वामी अलेख आत्र लम्बोदर व 10 अन्य खातेदारों से दिनांक 13.06.2013 को क्रय कर कब्जा काश्त कर रहा है। नामान्तरण क्रमांक –39 दिनांक 20.09.2013 के अनुसार पूर्व भूमि स्वामी का नाम विलोपित किया जाकर क्रेता के नाम पर अन्तरित की गई तथा ऋण पुस्तिका कामांक 1755414 प्रदाय किया गया है, किन्तु मुआवजा राशि पूर्व भूमि स्वामी विक्रेता अलेख आ. लम्बोदर व 10 अन्य के नाम से प्रस्तावि है। अतः उक्त भूमि का मुआवजा व पुर्नवास का लाभ दिया जावे।

प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार वर्तमान में भू अर्जन राजस्व अभिलेख में दर्ज भूमि स्वामीयों से भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियाम 2013 के प्रावधानों का पालन करते हुए किया जा रहा है। तथा राजस्व अभिलेखों में दर्जदर्ज नाम से मुआवजा राशि की गणना की जावेगी।

(6) आपत्तिकर्ता ललिता देवी पति विजयेन्द्र अग्रवाल निवासी चक्रधर नगर रायगढ़ द्वारा आपत्ति की गई है कि खाता नम्बर 3 खसरा नम्बर 166/1 क से रकबा 0.040 हे. भूमि अलेख आत्र लम्बोदर व 10 अन्य खातेदारों से दिनांक 12.06.2013 को क्रय कब्जा काश्त कर रहा है। नामान्तरण क्रमांक –40 दिनांक 05.10.2013 के अनुसार पूर्व भूमि स्वामी का नाम विलोपित किया जाकर उसके नाम से अन्तरित की गई तथा ऋण पुस्तिका कामांक 1755415 प्रदाय किया गयाहै। किन्तु मुआवजा राशि पूर्व भूमि स्वामी विक्रेता अलेख वगै. के नाम से प्रस्तावित किया गया है जो सर्वथा अनुचित है । अतः उक्त भूमि का मुआवजा व पुर्नवास का लाभ दिया जावे।

वर्तमान में भू अर्जन राजस्व अभिलेख में दर्ज भूमि स्वामीयों से भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियाम 2013 के प्रावधानों का पालन करते हुए किया जा रहा है। राजस्व अभिलेखों में दर्ज नाम से मुआवजा राशि की गणना की जावेगी। तथा मुआवजा एवं अनुमोदत पुनर्वास का लाभ दिया जावेगा।

(7) आपत्तिकर्ता गोलकराम पिता धनेश्वर उर्फ बुटू द्वारा आपत्ति की गई है कि अधिग्रहित की जा रही भूमि खसरा नं. 139/2 रकबा 0.045हे. गोलकराम पिता बुटू जाति कोलता के नाम दर्ज है किन्तु उसके पिता का असली नाम धनेश्वर है अतः बुटू उर्फ धनेश्वर के नाम सुधारा जावे।

प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार राजस्व अभिलेखों में गोलकराम पिता धनेश्वर दर्ज है तथा दर्ज नाम के अनुसार मुआवजा की गणना की जावेगी।

(8) आपत्तिकर्ता कालावति पति मिठाईलाल जाति रावत द्वारा आपत्ति की गई है कि ख.नं. 169अधिग्रहण में चले जाने से बचा हुआ जमीन कृषि योग्य नही रह गया है, व उपयोग में नही होगा जिस कारण से समस्त रकबे की जमीन को रेलवे लाईन हेतु एनटीपीसी को देना चाहता है।

आवेदक के ख.नं.169 रकबा 0.109हे. भूमि में से प्रस्तावित रकबा 0.040हे. ही अधिग्रहण की जा रही है। शेष रकबा 0.069हे. की आवश्यकता नहीं होने से अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है।

(9) आपत्तिकर्ता चन्द्रमा, सावित्री, ललिता, पुर्णिमा पिता बांछा जाति कोलता द्वारा आपत्ति की गई है कि ख.नं. 160 रकबा 0.239 हे भूमि अधिग्रहित किया जा रहा है। उसमें नाम` पूर्णिमा पिता वांछा प्रधान कर दिया गया है। उसे सुधार कर सुमित्रा मेहर पिता वांछा लिखा जावे। एवं मुआवजा राशि को हम सभी बहनो के नाम से अलग अलग प्रदान किया जावे। प्रभावित परिवार के आश्रित व्यक्तियों को रोजगार हेतु नौकरी दिलवाया जावे।

प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार वर्तमान राजस्व अभिलेखों में सुमित्रा पिता वांछा दर्ज है तथा अभिलेखों में दर्ज नाम से मुआवजा की गणना की जावेगी। तथा अनुमोदित पुनर्वास योजना के अनुसार प्रभावित परिवारों को लाभ देय होगा।

(10) आपत्तिकर्ता नवीनचन्द्र पिता दुर्योधन जाति कोलता द्वारा आपत्ति की गई है कि अधिग्रहण की जा रही भूमि खसरा नं. 162/4 रकबा 0.202 हे. पर 35 पेड़ महुआ, 2 पेंड़ साजा है। जबकि प्रकरण में मात्र 4 पेड़ महुआ 2 पेंड़ साजा का ही उल्लेख किया गया है। अतः उसकी उपस्थिति में मौका जांच कर भूमि तथा वृक्ष का मुआवजा निधारण किया जावे।

स्थल जांच में मौके पर अधिग्रहित की जा रही भूमि पर 16नग मौहा, 2 नग पलास, 1नग चार, एवं 3 नग बेहरा वृक्ष गणना योग्य पाया गया, जिसका नियमानुसार मुआवाजा गणना की जावेगी।

(11) आपत्तिकर्ता राजकुमार पिता स्व0 भरत लाल द्वारा आपत्ति की गई है कि यह कि आवेदक के मृत पिता भरतलाल पिता नुरपो का नाम दर्ज है जिसका एकमात्र स्वामी आवेदकगण/भाई क्रमशः करुणाकर भोय; शिव भोय; एवं आवेदक के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि पर 7 नग पेड़ दर्शाया गया है जबकि और भी 8 नग पेड है। जिसे भी जोडकर मुआवजा प्रदान किया जाना न्यायोजित है।

प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार स्थल जांच में मौके पर अर्जित की जा रही भूमि ख.नं. 162/2 रकबा 0.081 पर 4 नग मौहा, 3नग साजा, कुल 7 नग पेड़ गणना योग्य पाये गये।

(12) गुरूप्रसाद पिता जिवर्धन, ललित कुमार पिता हलधर, सत्यपाल, सुमति, पुष्पांजली, श्रंद्धांजली, बिष्णुप्रिया पिता जगदीश, मनोज, मुकेश, महिमा, मथुरा, मंजरी पिता प्रेमकुमार, सरोजनी बेवा प्रेमकुमार, गुरूवारी पिता हलधर, जाति कोलता द्वारा आपत्ति की गई है कि अधिग्रहण की जा रही भूमि ख.नं. 130/2ख रकबा 0.161 ख.नं 152/2 रकबा 0.04 ख. नं. 164 रकबा 0.324 ख.नं. 195/2, 199/1 रकबा 0.064 कुल रकबा 0.589 हे. साथ मे भूमि पर 9 पेड़ महुआ 3 साजा 1 चार का पेंड़ होना बताया गया है।का आपसी बंटवारा वर्ष 1977 हो चुका है और उसी अनुसार जमीन पर कब्जा है। अतः कब्जा कास्त के अनुसार मुआजवा बनाया जावे। खसरा नं. 130/2 ख/4 रकबा 0.161 तथा ख.नं. 164 रकबा 0.324 हे. भूमि अनावेदक सत्यपाल, सुमती, पुष्पांजलि, श्रध्दांजाल, एवं विष्णुप्रिया के बंटवारे एवं कब्जे की भूमि है इसपर अन्य किसी हिस्सेदार का कोई लेना देना नही है। इसकारण इस भूमि पर गुरुप्रसाद, ललित कुमार,मनोज, मुकेश, महिमा, मथुरा, मंजिरा, सरोजनी, गुरुवारी का नाम गलत ढंग से बताया गया है इन दो ख. नं. में से इन दोनों का कोई नाम नही है जबकि ख.नं 191/2, 199/2, 195/2, 199/1 की भूमि सभी हिस्सेदारों की संयुक्त भूमि है। और उस पर सभी का संयुक्त कब्जा है इसलिए इस ख. नंबरों की भूमि का अवार्ड संयुक्त रुप से बनाया जाना आवश्यक है। भोष भूमि का एवार्ड सत्यपाल वगै. को भूगतान कराया जाना आवश्यक है।

प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार राजस्व अभिलेख के अनुसार अधिग्रहण की जा रही शामिल खाते की भूमि 130/2ख/4 रकबा 0.161 ख.नं 152/2 रकबा 0.040 ख. नं. 164रकबा0.324 ख.नं. 195/2, 199/1 रकबा 0.064 पर 9नग मौहा, 3 नग साजा, 1नग चार गणना योग्य पाया गया। भूमि तथा वृक्षों का मुआवजा निर्धारण राजस्व अभिलेख में दर्ज नाम अनुसार की जावेगी।

(13) आपत्तिकर्ता टिकेश्वर पिता बुधु, भगतराम, सरस्वती, सुरभी, पिता मोहन, सुशीला बेवा मोहन, जनक, आनन्द, दुतिका पि बुधराम जाति कोतला द्वारा ख.नं. 163 रकबा 0.065 हे. की नोटिस में टिकेश्वर पिता बुधु जाति कोतला अंकित हो जाने के कारण आपत्ति की गई है।

प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार राजस्व अभिलेख के अनुसार अधिग्रहण की जा रही 136/3 रकबा 0.146 हे0 ख.नं. 163 रकबा 0.065हे. भूमि में सहखातेदार का नाम टिकेश्वर आ. मोहन कोलता दर्ज है। खातं में दर्ज अनुसार मुआवजा निर्धारण किया जावेगा।

(14) ललित पिता भुवनेश्वर, कान्हु, चिन्तामणी, प्रहलाद, पुतली, कस्तुरी, गायत्री पिता भुवनेश्वर, मनोज, मुकेश, महिमा, मथुरा, मंजरी पिता प्रेमकुमार, सरोजनी बेवा प्रेमकुमार, रामप्रसाद, संतोष, निलाम्बुज, सुरेश, शांति पिता हृषिकेश, सुमित्रा पि नायकचंद, विष्णुदत्त, धर्मदत्त पिता जयकृष्ण, बसनो बेवा जयकृष्ण, हेमसागर जानकी, शाखा, जेमा पिता बेणुधर, रामेश्वर पिता तेजराम, नविन कुमार, जमुना पिता दुर्योधन, गुरू प्रसाद पिता जिवर्धन, गंधर्बो बेवा जिवर्धन, ललित कुमार, समे, प्रेमकुमार, गुरूवारी पिता हलधर, सत्यपाल, सुमति, पुष्पांजली, श्रद्धांजली पि जगदीश, विष्णप्रिया बेवा जगदीश, जाति कोलता द्वारा आपत्ति की गई है कि खसरा नं. 131,132/2, 134 क्रमशः रकबा 0.709, 0.024, 0.016, एवं 0.069 की भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। उक्त भूमि में खसरा नं. 130/2ग रकबा 0.089 हे. भूमि पर जो धारा 21 भू अर्जन अधिनियम का सूचना पत्र किसान को भेजा गया है। उसमें महुआ के 9 वृक्ष साजा के 3 वृक्ष और चार का 1 वृक्ष होना बताया गया है जबकि मौके पर मौहा के 19,प्लास का 1 खम्हार का 1 साजा के 3 चार का 1 खैर के 2 नीम के 3 कलमी का आम का 1 आम का दो वृक्ष स्थित है। इसलिए भूमि का मुआवजा निर्धारण करने के पूर्व स्थल जांच कराया जाना आवश्यक है। उक्त सूचना पत्र मे कृषक ललित, कान्हू, चिन्तामणी, प्रहलाद, पुतली, कस्तुरी, गायत्री सभी के पिता भूवनेश्वर, रामप्रसाद, संतोष, निलाबुज, सुरेश, भांति, सभी के पिता ऋषिकेश, सुमित्रा पिता नानकचंद के नाम से भी सूचना पत्र धारा 21 के तहत दिया गया है। जबकि उक्त लोगों के

द्वारा प्रश्नधीन भूमि पर कभी कोई कब्जा कास्त नही किया गया है। और नही ही उनका उक्त भूमि में कोई हिस्सा बंटवारा ही है। इस तरह से अन्य भूमि स्वामी जिनका की नाम खाते मे नाम मात्र के लिए जुड़ा है जैसे– मुकेश, महिमा, मथुरा, मंजरी, सरोजनी, धमरदत्त, बसंतो, हेमसागर, जानकी, भाखा, जेमा, रामेश्वर का कोई हिस्सा बंटवारे की भूमि नही है। और न ही मौके पर उक्त लोगों का कब्ज कास्त नही है। जिसके अनुसार प्रश्नाधिन खसरा नं. 131, 132/2, एवं 134 की भूमि केवल कृषक नवीन कुमार एवं सत्यपाल के ही बंटवारे एवं कब्जे की भूमि है इसलिये केवल नवीन कुमार पिता दुर्योधन सतपाल पिता जगदीश के नाम से तथा विष्णु दत्त एवं मनोज दत्त के नाम से ही निर्धारित किया जाये।

प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार स्थल जांच में अधिग्रहण की जा रही शामिल खाते की भूमि 131,132/2,133/2, 134 कमशः रकबा 0.709, 0.024, 0.016, एवं 0.069 पर 35नग मौहा, 3नग चार, 1नग साजा, 1नग केकट, 1नग खैर, गणना योग्य पाया गया। भूमि तथा वृक्षों का मुआवजा गणना अभिलेख में दर्ज नाम पर किया जावेगा।

(15). आपत्तिकर्ता गहलो बेवा चैतुराम जाति गांड़ा द्वारा आपत्ति की गई है कि ख.नं. 135 उसे शासन द्वारा भूमि स्वामी हक में उपरोक्त भूमि प्रदाय किया जाकर भूमि ऋण पुस्तिका भी प्रदान किया गया है। और वर्तमान में उपरोक्त भूमि कास्त होकर अपना एवं अपनें परिवार का पालन पोषण करती है।

अधिग्रहण की जा रही उक्त भूमि ख.नं. 135 सेवा भूमि होने के कारण मुआवजा गणना नहीं की जावेगी।

(6) उपरोक्त अधिग्रहित की जा रही भूमि के संबंध में स्थल जांच प्रतिवेदन दि. 20/10/2016 एवं पंचनामा दिनाँक 20/10/2016 के साथ आवेदक निकाय, एवं तहसीलदार रायगढ़ की ओर से राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी द्वारा संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ। अधिग्रहित की जा रही भूमि का स्थल जांच कर भूमि तथा भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों का नियमानुसार निर्धारित मापदंण्ड के अनुसार मुआवजा का गणना पत्रक–भाग–1 क,ख,ग,घ तैयार कर प्रस्तुत किया गया है, जो आदेश का अंग है।

(7) अर्जित की जा रही भूमि का उप पंजीयक, रायगढ़ द्वारा प्राप्त केन्द्रीय मूल्याँकन बोर्ड, रायपुर द्वारा अनुमोदित गाईड–लाईन वर्ष 2015–16 की दर,औसत विकीछांट दर तथा आदर्श पुनर्वास नीति (संशोधित) की दर से तुलना में गाईड लाईन की दर अधिक होने के फलस्वरूप गाईड–लाईन वर्ष 2015–16 की दर के अनुरूप मुआवजा का निर्धारण किया गया है।

भूमि का प्रकार	गाईड लाईन वर्ष 2015–16 की दर प्रति हे0 में.	बिक्री छांट के अनुसार दर प्रति हे0 में.	पुर्नवास नीति के अनुसार दर प्रति एकड़
असिंचित खार,	2236000/–	1978280/–	800000/–
असिंचित टिकरा	2236000/–	1978280/–	800000/–
असिंचित बहला	2236000/–	1978280/–	800000/–

(क) भूमि का मुआवजा –

क्र.	अधिग्रहित भूमि का		गाईड लाईन के अनुसार कुल मुआवजा राशि	बिक्री छांट के दर से कुल मुआवजा राशि	पुनर्वास नीति की दर से कुल मुआवजा की राशि	देय मुआवजा
	प्रकार	रकबा				
1	खार असिंचित	2.889	26808186/–	5715251/–	5710975/–	26808186/–
2	टिकरा असिंचित	0.538	4992317/–	1064315/–	1063518/–	4992317/–
3	असिंचित बहला	2.983	27680449/–	5901209/–	5896794/–	27680449/–

(ख) अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मुआवजा – निरंक

(ग) अर्जित भूमि पर स्थित वृक्षों का मुआवजा – रू. 3291416/–

(घ) भूमि परिसंपत्तियों तथा वृक्षों का मुआवजा (क+ख+ग का योग) रू. 62772368/–

(8) प्रकरण मे भू–अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत पुर्नवास प्रतिवेदन तैयार कराने एवं पुर्नवास अवार्ड पारित करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

(9) तद्नुसार महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिग परियोजना के रेल लाईन निर्माण के लिये ग्राम **कोसमपाली** की अधिग्रहित निजी भूमि कुल खसरां नं. 58 कुल रकबा 6.410 हे. भूमि तथा भूमि पर स्थित वृक्षों का कुल मुआवजा राशि रूपये **62772368**/– (अक्षंराक छः करोड़ सत्ताइस लाख बहत्तर हजार तीन सौ अड़सठ मात्र) परिगणित होता है तथा भूमि तथा भूमि पर स्थित परिसंपति का मुआवजा गणना पत्रक–भाग–1 क,ख,ग,घ अवार्ड आदेश का अंग माना जावे। महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिग परियोजना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार अर्जित की जा रही भूमि का मुआवजा राशि छ.ग.भासन राजस्व एवं प्रबंधन विभाग का पत्र क्रमांक एफ–4–03/सात–1/2014 रायपुर दिनांक 24.02.2014 कलेक्टर रायगढ़ के पत्र क्रमांक 1539/भू– अर्जन/2014 दिनांक 28.02.2014 एवं राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के अधिसूचना क्र. एफ–4–28/सात–1/2014/दिनांक 04.12.2014 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार गाईड –लाईन वर्ष 2015–16 की दर एवं छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति 2007 (संशोधित) दर से तुलना कर गाईड–लाईन वर्ष 2015–16 की दर अधिक होने के कारण गाइड लाइन की दर से अधिकतम देय मुआवजा की परिगणना की गई है।

तद्नुसार प्रकरण में अवार्ड आदेश पारित किया जाता है।

भू–अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़
जिला रायगढ़ (छ0ग0)
भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

पृ.क्रमांक 146 /भू–अर्जन/2017, रायगढ़ दि. 27–01–2017

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा) रायगढ़ को सादर सूचनार्थ संप्रेषित। निवेदन है कि प्रकरण में पारित अवार्ड मुआवजा राशि रूपये **62772368**/– (अक्षंराक छः करोड़ सत्ताइस लाख बहत्तर हजार तीन सौ अड़सठ मात्र) प्रदाय करने का कष्ट करें।
3. महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना घरघोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आप कृपया पारित अवार्ड आदेश की प्रति संबंधित भूमि स्वामी को उपलब्ध करावें। तथा पुनर्वास प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
4. उप पंजीयक रायगढ़ को सूचनार्थ अग्रेषित।
5. तहसीलदार रायगढ़ को अभिलेख दुरूस्ती हेतु अग्रेषित।
6. राजस्व निरीक्षक रा.नि.मं. रायगढ़ को अभिलेख दुरूस्ती हेतु अग्रेषित ।
7. प.ह.न. 37 को अभिलेख दुरूस्ती हेतु अग्रेषित ।

भू–अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)